डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-23, अंक-22, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

17 दिसंबर 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

विशेष पहल

पर्यटन के लिए युवा तैयार

मुख्यमंत्री श्री साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में पर्यटन प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 45 युवाओं को भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर में एक माह का टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण दिया गया। इनमें अधिकांश युवा बस्तर क्षेत्र से हैं, जिन्हें राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गाइड के रूप में तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने प्रशिक्षित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर छत्तीसगढ़ को पर्यटन हब बनाने में सक्षम है।

अवलोकन

छत्तीसगढ़ में नई सिंचाई तकनीक

भोपाल में मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रेशर इरिगेशन नेटवर्क (PIN) की उन्नत सिंचाई तकनीक का अवलोकन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया। यह तकनीक पारंपरिक नहर सिंचाई की तुलना में 65% तक दक्षता बढ़ाती है, पानी का अपव्यय कम करती है और बिजली बचाती है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू किया जाएगा, ताकि किसानों को कम पानी में अधिक सिंचाई सुविधा और बेहतर उत्पादन मिल सके।

दीक्षांत समारोह

शिक्षा, और सफलता उत्सव

रायपुर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में हुआ। राज्यपाल श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में 36950 स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र, 92 गोल्ड मेडल विजेता और 64 शोधार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। अतिथियों ने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, कौशल निखारने, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी।

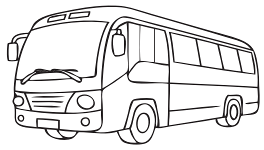

जन-जन तक पर्यटन पहुँचाने का संकल्प

मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना

छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के तहत विशेष टूर पैकेज में 75% सब्सिडी, वातानुकूलित वाहन, गाइड, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा शामिल होगी।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन विभाग और आईआरसीटीसी संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत विशेष टूर पैकेज शुरू करने जा रहे हैं। रायपुर और बस्तर क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए तैयार किए गए ये पैकेज प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देंगे। इससे छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त होगी। योजना के तहत पर्यटकों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह छूट 85 प्रतिशत होगी। सभी पैकेजों में वातानुकूलित वाहन, हिंदी-अंग्रेजी गाइड, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस उपलब्ध रहेगा।

चार प्रमुख टूर पैकेजों की घोषणा

रायपुर सिटी टूर (दिवसीय)

- राम मंदिर, ऊर्जा पार्क, पुरखौती मुक्तांगन, छत्तीसगढ़ ट्राइबल म्यूजियम, नंदनवन जू और कौशल्या माता मंदिर का भ्रमण
- वातानुकूलित वाहन और गाइड की सुविधा
- प्रस्थान एवं समापन: रायपुर रेलवे स्टेशन

रायपुर सिटी धार्मिक टूर (दिवसीय)

- हनुमान मंदिर, मां बंजारी मंदिर, कैवल्य धाम जैन मंदिर, इस्कॉन मंदिर, महामाया मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, राम मंदिर और कौशल्या माता मंदिर शामिल
- प्रस्थान एवं समापन: रायपुर रेलवे स्टेशन

रायपुर–जगदलपुर सर्किट टूर (02 रात / 03 दिन)

- चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, कुटुमसर गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दंतेश्वरी मंदिर का भ्रमण
- डबल-शेयरिंग होटल आवास
- दैनिक भोजन और यात्रा बीमा शामिल

रायपुर–सिरपुर–बारनवापारा सर्किट टूर (01 रात / 02 दिन)

- सिरपुर के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों की सैर
- बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी
- होटल आवास, स्नैक्स, भोजन और वातानुकूलित वाहन सुविधा

स्थानीय पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

“पर्यटन को जन–जन तक पहुँचाने और आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई उड़ान देने का सशक्त माध्यम बनेगी। मेरा लक्ष्य है कि राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर को हर नागरिक और पर्यटक तक पहुँचाकर प्रदेश की पहचान और समृद्धि को मजबूत किया जाए।”

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

सम्मान

हीराबाई झरेका बघेल को राष्ट्रीय पुरस्कार

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की प्रसिद्ध ढोकरा–बेलमेटल शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल को नई दिल्ली

स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सम्मान केवल श्रीमती हीराबाई झरेका बघेल का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर शिल्पकार का सम्मान है। हमारा राज्य अपनी कला, संस्कृति और हस्तशिल्प पर गर्व करता है। राज्य सरकार कला-संरक्षण, प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और बाजार विस्तार के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, ताकि ग्रामीण व वनवासी क्षेत्रों की प्रतिभाएं लाभान्वित हों और विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायत बैगीनडीह जैसे वनांचल क्षेत्र से निकलकर अपनी विशिष्ट शिल्पकला के माध्यम से देशभर में छत्तीसगढ़ की पहचान को नई ऊँचाइयाँ देने वाली श्रीमती बघेल की उपलब्धि हमारे प्रदेश की समृद्ध लोककला, परंपरा और ग्रामीण प्रतिभा की अद्भुत चमक को राष्ट्रीय मंच पर पुनर्स्थापित करती है।

कैबिनेट बैठक

तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नक्सली पुनर्वास, कानूनों के

सरलीकरण और वित्तीय विनियोग से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

1. प्रकरण वापसी को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा और न्यायालय से वापसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी। इसके लिए मंत्रिपरिषद उपसमिति बनाई जाएगी। जिला समिति मामलों की जांच कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। केंद्रीय अधिनियमों के मामलों में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2. जन विश्वास विधेयक अनुमोदित
बैठक में 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। छोटे उल्लंघनों पर प्रशासकीय दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा और न्यायालयों पर बोझ कम होगा।

3. विनियोग विधेयक को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के प्रस्तुतीकरण के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 को मंजूरी दी।

नई गाइडलाइन

नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन नियमों में बड़े बदलाव, नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास

गाइडलाइन दरों में बड़े बदलाव, मूल्यांकन प्रक्रिया अब और अधिक सरल बनी

राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों पर प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 07 दिसंबर को आयोजित की गई। बैठक में पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का उद्देश्य आम जन पर आर्थिक बोझ कम करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में संतुलन और विश्वास बहाल करना है।

इंक्रीमेंटल प्रणाली समाप्त
बैठक में नगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन हेतु लागू इंक्रीमेंटल आधार वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब पुनः पूर्व प्रचलित स्लैब आधारित प्रणाली लागू रहेगी।

- नगर निगम: 50 डिसमिल
- नगर पालिका: 37.5 डिसमिल
- नगर पंचायत: 25 डिसमिल
- इस परिवर्तन से मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ ही नागरिकों को राहत मिलेगी।

मूल्यांकन अब बिल्ट-अप एरिया पर
बहुमंजिला भवनों में संपत्ति पंजीयन के समय अब सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय बिल्ट-अप एरिया को आधार मानकर मूल्यांकन किया जाएगा।

कॉम्प्लेक्स में तल अनुसार विशेष छूट
- बहुमंजिला और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में
- बेसमेंट और प्रथम तल पर 10% छूट
- द्वितीय तल और ऊपर के सभी तल पर 20% छूट
- इससे मध्यम वर्ग को अधिक किफायती आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयाँ उपलब्ध होंगी

ग्रामीण क्षेत्रों में कई बड़े सुधार
- परिवर्तित भूमि पर सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य जोड़ना समाप्त
- दो फसली भूमि पर 25% अतिरिक्त मूल्य हटाया गया
- ट्यूबवेल, कुआँ, वृक्ष, वाणिज्यिक फसलों का मूल्य भूमि में जोड़ने की व्यवस्था समाप्त

शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में राहत
- 25 से 37.5 डिसमिल तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन अब वर्गमीटर की जगह हेक्टेयर दर से किया जाएगा

शेष पेज 03 पर

पिक ऑफ द वीक

बस्तर ओलम्पिक का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम, जगदलपुर में संभाग स्तरीय बस्तर ओलम्पिक 2025 का विधिवत शुभारंभ किया। सातों जिलों के खिलाड़ियों ने भव्य मार्च पास्ट से सभी का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के उत्साह, नुआ बाट के प्रतिभागियों की सक्रिय उपस्थिति और बेटियों की बढ़ती सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जॉब अलर्ट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 2755
अंतिम तिथिः 18 दिसंबर
iocl.com

महाराष्ट्र विद्युत निगम
पदः सीनियर मैनेजर
पद संख्याः 120
अंतिम तिथिः 22 दिसंबर
www.mahatransco.in

GPRB
पदः कॉन्स्टेबल सहित अन्य
पद संख्याः 13591
अंतिम तिथिः 23 दिसंबर
ojas.gujarat.gov.in

RITES
पदः असिस्टेंट मैनेजर
पद संख्याः 400
अंतिम तिथिः 25 दिसंबर
rites.com

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी
पदः फिटर सहित अन्य
पद संख्याः 90
अंतिम तिथिः 30 दिसंबर
chayan.mponline.gov.in

यूरेनियम कॉपोरेशन
पदः माइनिंग मेट व अन्य
पद संख्याः 107
अंतिम तिथिः 31 दिसंबर
apprent ceshipindia.gov.in

बीटीएससी
पदः वर्क इंस्पेक्टर
पद संख्याः 1907
अंतिम तिथिः 5 जनवरी
btsc.bihar.gov.in

डीटीपी ऑपरेटर, ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर के पदों पर होगी भर्ती

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में समूह-3 डीटीपी ऑपरेटर, ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर के रिक्त पदों के लिए व्यापमं ने आवेदन मंगाया है। व्यापमं ने परीक्षा की संभावित तिथि 1 मार्च 2026 तय की है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभ्यर्थी व्यापमं के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 29 दिसंबर सायं 5 बजे तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 30 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। 23 फरवरी तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर भर्ती, आवेदन 13 जनवरी तक

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 13 जनवरी 2026 तक चलेगी। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट ट्रेंड असिस्टेंट टीचर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। योग्य उम्मीदवारों के पास डीएड, बीएड या स्पेशल एजुकेशन से संबंधित डिप्लोमा होना आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष तक निर्धारित है। चयन प्रक्रिया रिटन एग्जाम और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर होगी। सैलरी अधिकतम 92,300 रुपए प्रतिमाह तक मिलेगी। अधिक जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर प्राप्त कर सकते है।

नवा रायपुर में बनेगा अत्याधुनिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला

अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा से प्रदेश की स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़त मिलेगी

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप नवा रायपुर में इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सह एफडीए भवन के निर्माण के लिए 46 करोड़ 49 लाख 45 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना मुख्य बजट 2025-26 की प्रमुख घोषणाओं में शामिल थी, जिसे अब निर्मित रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

नवा रायपुर में 1.5 एकड़ भूमि आवंटित

इस बहुउद्देशीय प्रयोगशाला के निर्माण के लिए नवा रायपुर में 1.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में रायपुर स्थित प्रयोगशाला केवल 5,000 वर्ग फीट क्षेत्र में संचालित हो रही है। सीमित स्थान के कारण परीक्षण क्षमता भी काफी कम रही है।

नई प्रयोगशाला 30,000 वर्ग फीट क्षेत्र में भूतल, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर निर्मित होगी और आधुनिकतम मशीनरी से लैस होगी।

परीक्षण क्षमता में वृद्धि

रासायनिक परीक्षणः
वर्तमान क्षमताः 500–800 नमूने/वर्ष
नई क्षमताः 7000–8000 नमूने/वर्ष
माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षणः
इंजेक्शन, आई ड्रॉप आदि के 2000 नमूने/वर्ष
मेडिकल डिवाइस परीक्षणः
राज्य में पहली बार, 500 नमूने/वर्ष
फार्मास्यूटिकल्स परीक्षणः
वर्तमानः 50 नमूने/वर्ष
नई क्षमताः 1000 नमूने/वर्ष

अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी नई प्रयोगशाला

प्रस्तावित प्रयोगशाला में ड्रग परीक्षण, खाद्य परीक्षण और इनफोर्समेंट से संबंधित हाई-टेक उपकरण शामिल होंगे। अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से परीक्षण प्रक्रिया अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगी। इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण दवाओं और खाद्य उत्पादों के प्रमाणन में तेजी आएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने व्यक्त किया आभार

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना राज्य की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ एवं दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

SSC जीडी कॉन्स्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CAPFs, SSF और असम राइफल्स में जीडी कॉन्स्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10वीं पास उम्मीदवार 31 दिसंबर तक ssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों के लिए पदों का आवंटन किया गया है। चयन प्रक्रिया में CBT परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं। आयु सीमा 18-23 वर्ष रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

CBSE में 124 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती, आवेदन 22 दिसंबर तक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट सहित 124 नॉन-टीचिंग पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। 18 से 35 वर्ष आयु के योग्य उम्मीदवार 22 दिसंबर तक cbse.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में टियर-1 और टियर-2 परीक्षा शामिल होगी, जबकि कुछ पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-2 से 10 के अनुसार वेतन मिलेगा।

विद्युत वितरण कंपनी में 4009 पदों पर भर्ती, आवेदन 21 जनवरी तक

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 4009 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू होगी और 21 जनवरी तक चलेगी। उम्मीदवार mpwz.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभिन्न पदों के लिए बीटेक, बीई, डिप्लोमा, आईटीआई से लेकर 12वीं पास तक योग्यताएँ मान्य हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा।

एसबीआई में 996 पदों पर भर्ती, आवेदन 23 दिसंबर तक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव सहित कुल 996 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 23 दिसंबर 2025 तक recruitment.sbi.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अवधि 5 वर्ष होगी जिसे 4 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। पदों में वीपी हेल्थ (506), एवीपी वेल्थ (206) और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव (284) शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल हैं।

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
महाप्रबंधक
हीरालाल देवांगन
उप महाप्रबंधक (विपणन)
नितिन शर्मा
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुलानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सैनिक कल्याण में दिया योगदान

राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण हेतु योगदान दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने मुख्यमंत्री को सम्मान बैज प्रदान किया और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सैनिकों के साहस, त्याग और राष्ट्रसमर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने नागरिकों से भी सैनिकों और शहीद परिवारों के प्रति जिम्मेदारी और सहयोग की भावना बनाए रखने का आह्वान किया।

अंबागढ़ चौकी को राजस्व अनुभाग बनाने और ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आदिवासी समाज के विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान अंबागढ़ चौकी को राजस्व अनुभाग बनाने और सर्व सुविधायुक्त ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने 475 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 22वीं किस्त की राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में अंतरण किया।

छत्तीसगढ़ में ई-गजट पोर्टल का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में ई-गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने किया। इस पोर्टल से अब सभी विभाग और जिला कलेक्टर आदेश, अधिसूचनाएँ एवं अध्यादेश सीधे डिजिटल रूप में अपलोड कर सकते हैं। इससे राजपत्र प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, त्वरित और पेपर-लेस होगी। नई प्रणाली पारदर्शिता, सुलभता और रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ाएगी। ई-गजट पोर्टल लागू होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और डिजिटल शासन को मजबूती मिलेगी। यह पहल राज्य में आधुनिक ई-गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नया रायपुर में एडुसिटी से शिक्षा क्रांति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) के प्रतिनिधि श्री जगदीश वी पारिख ने मुलाकात कर नया रायपुर में कैंपस स्थापना का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडुसिटी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएँ और रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार नए रायपुर को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित कर रही है, जिसमें मल्टी-डिसिप्लीनरी यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और इन्क्यूबेशन हब शामिल हैं। इससे युवाओं का कौशल विकास और रोजगार सुनिश्चित होगा।

जस्टिस वर्मा को स्थायी जज बनाने की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वे 23 जनवरी 2024 को अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे। निर्णय चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने लिया।

छत्तीसगढ़ में रक्षक पाठ्यक्रम के लिए आयोग और 6 विश्वविद्यालयों में एमओयू

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 6 विश्वविद्यालयों के साथ "रक्षक पाठ्यक्रम" शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में एमओयू किया। यह देश का पहला बाल अधिकार आधारित एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा होगा, जो युवाओं को सुरक्षित बचपन, संरक्षण से जुड़े कानून, योजनाओं और व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण देगा। मुख्यमंत्री ने इसे सुशासन और संवेदनशील समाज निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। महिला एवं बाल विकास तथा उच्च शिक्षा मंत्रियों ने इसे ऐतिहासिक और रोजगारोन्मुखी नवाचार कहा।

नक्सलवाद उन्मूलन में ऐतिहासिक सफलता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्षों में नक्सलवाद निर्णायक रूप से कमजोर हुआ है और 31 मार्च 2026 तक पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तेज़ी से प्राप्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक माओवादी न्यूट्रलाइज हुए और 4,000 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी दी है। नई पुनर्वास नीति, सुरक्षा कैंपों के विस्तार और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच से 400 से अधिक गाँव पुनः आबाद हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब कृषि, उद्योग और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है तथा क्षेत्र तेज़ी से विकास की मुख्यधारा में लौट रहा है।

पहले पेज का शेष

- पहले मूल्य: 26.75 लाख रुपये
- नया मूल्य: 6.30 लाख रुपये
- तालाब/मछली टैंक वाली भूमि पर 1.5 गुना दर, बाउंड्री वॉल और प्लिंथ का मूल्य जोड़ने की व्यवस्था भी समाप्त

31 दिसंबर तक भेजें संशोधित प्रस्ताव
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने निर्देश दिए कि हाल ही में बढ़ाई गई दरों पर प्राप्त ज्ञापनों और सुझावों का परीक्षण कर जिला मूल्यांकन समितियाँ 31 दिसंबर 2025 तक अपने संशोधित प्रस्ताव भेजेंगी। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर आगामी गाइडलाइन दरों की संरचना तैयार की जाएगी।

संपत्तियों की दरें अब केवल दो प्रकार
पहले निर्मित संपत्तियों के लिए 21 प्रकार की दरें लागू थीं, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ दो प्रकार की दरें कर दिया गया है। इससे मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों का मूल्यांकन अब बेहद आसान होगा।

रियल एस्टेट सेक्टर में संतुलन और नागरिकों को राहत
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के इन सुधारों से पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं नागरिकों के हितों के अनुरूप बन गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य आम जन पर आर्थिक बोझ कम करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में संतुलन एवं विश्वास स्थापित करना है।

राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री कार्यालय का नया परिसर 'सेवा तीर्थ' कहलाएगा

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के लिए बनाए जा रहे नए परिसर का नाम 'सेवा तीर्थ' रखा जाएगा। इसे पहले 'एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' कहा जाता था। वहीं, देशभर के सभी 'राजभवन' का नाम अब 'लोक भवन' और 'राज निवास' का 'लोक निवास' रखा जाएगा। इस संबंध में तेलंगाना और ओडिशा राज्यपाल कार्यालय ने आदेश जारी किया।

एयर मार्शल तेजबीर सिंह बने भारतीय वायुसेना के DG

एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने भारतीय वायुसेना में डायरेक्टर जनरल (इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी) का पद संभाला है। इससे पहले वे एयर अटैची (बांग्लादेश), नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ और एयर हेडक्वार्टर्स में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। उनकी तैनाती वायुसेना की निरीक्षण और सुरक्षा कार्यों को और मजबूत करेगी।

अक्टूबर तक भारत की नॉन-फॉसिल फ्यूल क्षमता फॉसिल से आगे

अक्टूबर 2025 तक देश की कुल इंस्टॉल्ड बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट हो गई है। इसमें नॉन-फॉसिल फ्यूल स्रोतों की क्षमता 2,59,423 मेगावाट पहुंच गई है, जो फॉसिल फ्यूल क्षमता 2,45,600 मेगावाट से अधिक है। यह ऊर्जा क्षेत्र में साफ-सुथरी और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

नौसेना को मिला ब्रह्मोस से लैस युद्धपोत 'तारागिरि'

समुद्र की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नौसेना बेड़े में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस युद्धपोत तारागिरि भी शामिल कर लिया गया है। मझगांव डॉक शिपबिल्डिंग लि. (एमडीएल) ने प्रोजेक्ट 17-ए के तहत तैयार स्टील्थ फ्रिगेट (युद्धपोत) तारागिरि को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। यह नीलगिरि-क्लास की चौथी और एमडीएल में बनी तीसरी फ्रिगेट है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, तारागिरि उसी नाम के पुराने युद्धपोत का आधुनिक रूप है, जिसने 1980 से 2013 तक कुल 33 वर्ष नौसेना में सेवा दी थी। नई तारागिरि उन्नत स्टेल्थ तकनीक, बेहतर मारक क्षमता, अत्याधुनिक ऑटोमेशन और मजबूत सर्वाइवेबिलिटी से लैस है।

पूर्वोत्तर रेलवे पुलों की सुरक्षा में रोबोटिक गार्ड तैनात

पूर्वोत्तर भारत के रेल पुल अब उन्नत तकनीक से और सुरक्षित होंगे। उत्तर-पूर्व रेलवे ने पहली बार अंडरवाटर रोबोटिक व्हीकल (ROV) तैनात किए हैं, जो नदी के तल तक जाकर पुलों की नींव, पायों और संरचना की गहराई से जांच कर रहे हैं। सराईघाट रेल-सह-सड़क पुल से शुरू हुई इस तकनीक में हाई-रेजोल्यूशन इमेजिंग, 3डी मैपिंग और थर्मल इमेजिंग से पुलों की मजबूती मापी जाती है। अब तक 13 पुल सुरक्षित पाए गए हैं और 2025-26 में 34 पुलों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम बाढ़ और सुरक्षा जोखिम कम करेगा।

वॉट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप अब बंद सिम पर नहीं चलेंगे

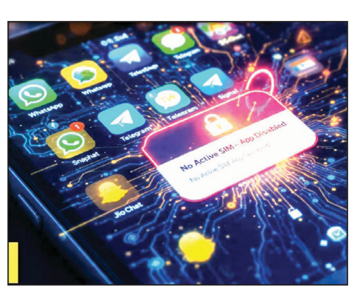

केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा नियम कड़े करते हुए नया निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार वॉट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप केवल चालू सिम के साथ ही काम करेंगे। भारत में ऐप-आधारित संचार सेवाएं देने वाली कंपनियों को 120 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर दूरसंचार अधिनियम-2023 और साइबर सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। यह नया नियम वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट और जियोचैट समेत सभी मैसेजिंग ऐप को प्रभावित करेगा।

भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च

भारतीय थलसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया, जिससे सशस्त्र बल की लंबी दूरी की मारक क्षमता और मजबूत हुई है। यह प्रक्षेपण बंगाल की खाड़ी के परीक्षण क्षेत्र से किया गया। सेना ने बताया कि मिसाइल ने उन्नत गाइडेंस और नियंत्रण प्रणालियों के माध्यम से उच्च गति पर स्थिर उड़ान, लक्ष्य साधने की क्षमता और अंतिम चरण में सटीक प्रहार दिखाया। निर्धारित लक्ष्य को बिल्कुल सही भेदते हुए ब्रह्मोस यूनिट्स ने वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रदर्शन साबित किया।

आधार में अब घर बैठे अपडेट होगा मोबाइल नंबर

यूआईडीएआई ने आधार ऐप में बड़ा बदलाव करते हुए उपयोगकर्ताओं को अब घर बैठे ही आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दे दी है। जल्द ही एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी अपडेट की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इससे आधार केंद्रों में लाइन लगाने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। नया फीचर दो-स्तरीय सुरक्षित वेरिफिकेशन पर आधारित है पहले ओटीपी वेरिफिकेशन और फिर आधार ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन।

सेना ने 7,042 मीटर ऊंचा कांगटो शिखर फतह किया

अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची और अजेय मानी जाने वाली चोटी माउंट कांगटो (7,042 मीटर) को भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने फतह कर लिया है। लंबे समय से इसे कामेंग हिमालय का अनक्लाइम्ब्ड गार्डियन कहा जाता था। सेना की 18 सदस्यीय टीम को 3 नवंबर को फॉरवर्ड बेस से रवाना किया गया था।

भारत में तैयार होगा सैन्य विमानों का बड़ा एमआरओ हब

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक रक्षा एमआरओ केंद्र की नींव रखी है, जहां अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमानों की सर्विसिंग और ओवरहाल किया जाएगा। यह केंद्र भारत में सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की मेंटेनेंस क्षमता को मजबूत करेगा। दोनों कंपनियां भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 80 हेवी-लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद में सी-130जे को प्रमुख दावेदार बना रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय

रहस्यमयी कण न्यूट्रिनो को ढूंढने के लिए समुद्र में टेलीस्कोप टेस्ट

चीन ने ब्रह्मांड के रहस्यमयी कण न्यूट्रिनो को खोजने के लिए समुद्र में एक खास टेलीस्कोप का परीक्षण किया है। ट्रॉपिकल डीप-सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप समुद्र की सतह से 3,500 मीटर नीचे लगाया जाएगा। यह दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप में से एक होगा। न्यूट्रिनो सूक्ष्म कण हैं, जो ब्रह्मांड की चमकीली घटनाओं और कॉस्मिक रे की उत्पत्ति को समझने में मदद करते हैं। ये कण आम पदार्थ से कम टकराते हैं और तारों, ब्लैक होल जैसे घने क्षेत्रों से गुजरकर जानकारी ला सकते हैं, जो फोटॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते।

आईएमओ काउंसिल में भारत को रिकॉर्ड जीत, कैटेगरी-B में दोबारा चयन

भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (IMO) काउंसिल की कैटेगरी-B में रिकॉर्ड 154 वोट मिलकर दोबारा चुना गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मैरीटाइम विज़न की बड़ी सफलता बताया। भारत ने जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएई और ब्राज़ील जैसे बड़े समुद्री देशों के साथ शीर्ष समूह में जगह बनाए रखी है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति, वैश्विक भरोसे और मैरीटाइम सेफ्टी-सस्टेनेबिलिटी में नेतृत्व को मजबूत करती है।

ITBP प्रमुख प्रवीण कुमार ने BSF DG का अतिरिक्त प्रभार संभाला

ITBP के DG प्रवीण कुमार ने BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। यह जिम्मेदारी पूर्व DG दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद दी गई। समारोह रायपुर में आयोजित हुआ, क्योंकि दोनों अधिकारी राष्ट्रीय DGs–IGs पुलिस सम्मेलन में शामिल थे। प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस हैं और उन्होंने ITBP, IB और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। अब तक BSF के 2.70 लाख कर्मियों की सुरक्षा और सीमाओं की निगरानी उनकी देखरेख में होगी।

भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी नई स्पाइरल गैलेक्सी 'अलकनंदा'

पुणे के एक खगोल भौतिकी संस्थान के दो शोधकर्ताओं ने अब तक की सबसे दूरस्थ सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है, जो ब्रह्मांड के केवल 1.5 अरब वर्ष पुराने समय से अस्तित्व में है। हिमालय की नदी के नाम पर 'अलकनंदा' नामित यह आकाशगंगा दर्शाती है ब्रह्मांड पहले की वैज्ञानिक धारणाओं से कहीं अधिक विकसित था। शोधकर्ताओं के अनुसार इतनी सुव्यवस्थित सर्पिल संरचना का इतने प्रारंभिक काल में मिलना आश्चर्यजनक है और यह सिद्धांतों को चुनौती देता है कि जटिल आकाशगंगाएँ कैसे बनीं।

'वर्क, वर्क, वर्क' मंत्र के लिए जापानी पीएम को पुरस्कार

जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता साने ताकाइची का नारा 'वर्क, वर्क और वर्क' (काम, काम और काम) साल का सबसे चर्चित नारा बन गया है। अक्टूबर 2025 में पार्टी की प्रमुख बनने के बाद उन्होंने यह नारा दिया। इस नारे को एक निजी समिति ने साल का 'कैचफ्रेज़' घोषित किया है। ताकाइची ने हाल ही में इसका पुरस्कार स्वीकार किया।

सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद ही एच-1 बी वीसा

सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद ही एच-1 बी वीज़ा जारी किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एच-1 बी वीज़ा के लिए यह आदेश जारी किया है। एच-1 बी आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा, ताकि अमेरिकी अधिकारी आवेदक की प्रोफ़ाइल, सोशल मीडिया पोस्ट और लाइक्स देख सकें। यदि आवेदक की कोई भी सोशल मीडिया गतिविधि अमेरिकी हितों के प्रतिकूल दिखी, तो एच-1 बी वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। एच-1 बी के आश्रितों (पत्नी, बच्चे और माता-पिता) के लिए एच-4 वीज़ा हेतु भी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल को सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।

विश्व बैंक समूह में पास्कल डोनोहो की बड़ी नियुक्ति

विश्व बैंक समूह ने पास्कल डोनोहो को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया है। डोनोहो इससे पहले आयरलैंड के वित्त मंत्री और 2020 से यूरोग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे प्रॉक्टर एंड गैंबल में भी 10 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं।

सूडान ने रूस को रेड सी में नौसैनिक बेस बनाने की अनुमति दी

सूडान ने रूस को अपने तट पर पोर्ट सूडान के पास रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस स्थापित करने की अनुमति दी है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में आता है। समझौता 25 साल के लिए हुआ है और हर 10 साल में यह स्वतः बढ़ जाएगा। बेस के जरिए रूस को रणनीतिक और समुद्री पहुंच मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कोच्चि में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो 29-30 जनवरी को

कोच्चि में 29-30 जनवरी को 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट आयोजित होगा। यह दुनिया के सबसे बड़े सीवीड उद्योग आयोजनों में शामिल है। कार्यक्रम में ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पहला फीफा शांति पुरस्कार

वाशिंगटन में फीफा-2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने यह सम्मान उन्हें प्रदान किया। यह पुरस्कार हाल ही में वैश्विक शांति प्रयासों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सम्मान ग्रहण करते हुए ट्रम्प ने इसे अपने जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक बताया और दुनिया भर में संघर्ष कम कराने में अपनी भूमिका का उल्लेख किया।

कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में मिला गेडेस गेवेल पुरस्कार

भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कॉलेज में रक्षा रणनीति और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने पर गेडेस गेवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जानकारी कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने दी। उच्चायोग के अनुसार, यह पुरस्कार उस छात्र को दिया जाता है, जो क्षेत्रीय संबंधों और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारकों की सबसे अच्छी समझ प्रदर्शित करता है तथा राजनीतिक, कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट ज्ञान प्रदर्शित करता है।

खेल / कला

लंदन चेस क्लासिक के को-लीडर बने ग्रैंडमास्टर प्रज्ञाननंद

ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञाननंद ने लंदन चेस क्लासिक ओपन 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए टूर्नामेंट के को-लीडर बन गए हैं। उन्होंने छठे राउंड तक 5/6 अंक हासिल किए हैं और इस समय सर्बिया के ग्रैंडमास्टर वेलिमिर इविक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। प्रज्ञाननंद ने हंगरी के ग्रैंडमास्टर टॉमस फोडोस जूनियर के खिलाफ सिर्फ 21 चालों में ड्रॉ खेलकर की, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए इज़राइल के इंटरनेशनल मास्टर एटन रोजेन को हराया।

हांगकांग मास्टर्स एशिया कप, भारत ने दोनों वर्गों में जीता गोल्ड

भारत ने हांगकांग में आयोजित हांगकांग मास्टर्स एशिया कप 2025 में 40 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और महिला मास्टर्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। हांगकांग फुटबॉल क्लब में 26 से 30 नवंबर तक हुई विश्व मास्टर्स हॉकी एशिया चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप चरण में हांगकांग को 4-0 और 5-4 तथा सिंगापुर को 4-0 और 3-2 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में भारत ने ग्रुप चरण में सिंगापुर को 7-2 से हराया, जबकि हांगकांग के साथ 1-1 का ड्रॉ खेला। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उसे 2-4 से पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन फाइनल में हांगकांग को 2-0 से हराकर खिताब जीता।

भारत ने एशियाई घुड़सवारी में जीते पांच पदक

भारत ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित इवेंटिंग और ड्रेसेज स्पर्धाओं में कुल पाँच पदक जीतकर एफईआई एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में अपना अभियान समाप्त किया। टारगेट एशियाई खेल समूह (TAGG) योजना के खिलाड़ी आशीष लिमये ने इवेंटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने के साथ-साथ अपने साथियों शशांक सिंह कटारिया और शशांक के. कनमुरी के साथ मिलकर टीम रजत भी जीता। ड्रेसेज स्पर्धा में श्रुति वोरा ने तीन रजत पदक हासिल किए। उन्होंने एक रजत व्यक्तिगत वर्ग में, दूसरा इंटरमीडिएट I फ्रीस्टाइल में और तीसरा ड्रेसेज टीम स्पर्धा में जीता। भारतीय टीम में TAGG खिलाड़ी दिव्यकृति सिंह, गौरव पुंडीर और श्रुति वोरा शामिल थीं।

डेविस कप: रोहित राजपाल फिर बने भारत के कप्तान

इंडिया टेनिस एसोसिएशन (एआईटीए) ने रोहित राजपाल को फिर से भारत की डेविस कप टीम का गैर-खिलाड़ी कप्तान नियुक्त किया है। रोहित 31 दिसंबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। उनके अलावा आशुतोष सिंह को डेविस कप टीम का कोच बनाया गया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (आईटीएफ) द्वारा घोषित ड्रॉ के अनुसार भारत फरवरी 2026 में डेविस कप क्वालीफायर में नीदरलैंड्स की मेजबानी करेगा।

निहारिका नाग बनी राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शंकरगढ़ की छात्रा निहारिका नाग ने मिट्टीकला में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में आयोजित उद्भव 2025 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निहारिका की सफलता में उनके कला शिक्षक और विद्यालय प्राचार्य का मार्गदर्शन अहम रहा। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके समर्पण और मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस उपलब्धि से न केवल उनका, बल्कि विद्यालय और राज्य का भी मान बढ़ा है।

अंतरराष्ट्रीय पोलो में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उपलब्धि

इंफाल में आयोजित 15वें मणिपुर अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा लेकर छत्तीसगढ़ ने इतिहास रच दिया। अमेरिका, कोलंबिया और इंडियन पोलो एसोसिएशन जैसी टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर राज्य ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। "खेल से शक्ति" पहल के तहत दंतेवाड़ा और कांकेर के आदिवासी युवाओं को मिले प्रशिक्षण ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। टीम में ले. कर्नल अमन सिंह, वेदिका शरण सहित कई खिलाड़ी शामिल रहे।

सुनील नरेन ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 600 विकेट

वेस्टइंडीज के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन टी-20 क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि अफगानिस्तान के राशिद खान और वेस्टइंडीज के ही ड्वेन ब्रावो के नाम दर्ज है। नरेन ने यह मुकाम ILT-20 लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए हासिल किया और टी-20 क्रिकेट में अपनी धाक फिर से साबित की।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फिर ओवरऑल चैंपियन

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 67 पदक जीतकर लगातार दूसरी बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब बरकरार रखा। ओलंपियन श्रीहरि नटराज नौ स्वर्ण और दो रजत के साथ सबसे सफल खिलाड़ी रहे, जिनके प्रदर्शन से जैन यूनिवर्सिटी ने 27 स्वर्ण समेत 45 पदक जीते। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कैनो-कयाकिंग में 30 में से 23 स्वर्ण अपने नाम किए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 78 पदक (32 स्वर्ण) के साथ उपविजेता रही, जबकि गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण समेत कुल 72 पदक हासिल किए।

सीमा पूनिया पर 16 महीने का प्रतिबंध

एशियन गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय डिस्कस थ्रोअर सीमा पूनिया पर डोपिंग टेस्ट में विफल पाए जाने के कारण 16 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने 42-वर्षीय सीमा को प्रतिबंधित पदार्थ लेने का दोषी पाया। इसके अलावा महिला धावक पूजा यादव पर पाँच साल, शॉट-पुटर मनजीत कुमार पर छह महीने और धावक निकेश पर चार साल का प्रतिबंध लगाया गया है।

एशियन गेम्स 2026: सहदेव होंगे भारतीय दल के शेफ़-डी- मिशन

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव को 2026 में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल का शेफ़-डी- मिशन घोषित किया गया है। इन खेलों का आयोजन जापान के एची और नागोया में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा।

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, बिलासपुर (चकरभाठा)

Bilasa Devi Kevat Airport Bilaspur (Chakarbhatha)

Directorate of Aviation, Government of Chhattisgarh

क्रमांक 303/BDKAB/नो.अधि. /2025-26 बिलासपुर दिनांक 03/12/2025

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विमानन संचालनालय, केपिटल कॉम्पलेक्स महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. के पत्र क. ESTB-101(2)/42/2025/DOA/994 नवा रायपुर दिनांक 25/11/2025 के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट हेतु स्वीकृत पद पर "संविदा पर पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 26/12/2025 तक निर्धारित प्रारुप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

क्रमांक	पद का नाम	विशेष संविदा वेतन	वेतनमान	पद संख्या
1	Chief Security Officer	60000.00	वे.मे.ले.-13	01 (अनारक्षित)
2	Assistant Executive	50800.00	वे.मे.ले.-12	01 (अनारक्षित)
3	Accountant	23350.00	वे.मे.ले.-06	01 (अनारक्षित)
4	Assistant Grade -III	18000.00	वे.मे.ले.-04	01 (अनारक्षित)
	योगः-			04

शैक्षणिक अर्हतायें :-

स.क्र.-(1) Chief Security Officer के पद हेतु योग्यता निम्नानुसार है :-

1. Minimum Educational Qualification: Graduation or equivalent.
2. In-depth knowledge of international regional and national aviation security regulations.
3. Experience in aviation security operations: or experience in other security related law enforcement fields such as police, security, intelligence and Investigative Agencies, However, preference shall be given to qualified professionals having adequate experience in aviation security.
4. It shall be mandatory requirement for them to qualify Aviation Security Basic Course within three months of joining unless exempted by the DG, BCAS.

स.क्र.- (2) Assistant Executive के पद हेतु योग्यता निम्नानुसार है :-

1. B.E. or B.Tech./B.Sc. (Aviation)/B.Sc. (PCM) (Regular Course).
   Or
   Senior Non Commisioned/Non Comminssioned officer with ATC/ADSIO/SFSIO and equivalent qualificaton.
2. Minimum 2 years experience in Airoport Operation/Air Traffice Control/Air Defence Operation/Flight Safety or Pilot/Trainee (With Minimum 40 hrs) flying experience.

स.क्र.-(3) Accountant हेतु निर्धारित योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :-

1. B.Com with ICWA/CA/MBA full time regular (two years duration) with specialization in finance.

स.क्र.- (4) Assistant Grade-III पद की नियुक्ति हेतु छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 9-1/2008/ 1-3 रायपुर दिनांक 01.02.2013 एवं आदेश क्र. एफ 9-1/2008/एक-3 नवा रायपुर दिनांक 03.02.2022 के अनुसार योग्यता/अर्हता निम्नानुसार है :-

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र तथा, कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
3. मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एव साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति (गति के सबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

सामान्य निर्देश :-

1. अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेखित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अतिरिक्त योग्यता एवं उपयुक्तता वाले अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी।
3. विज्ञापन में उल्लेखित सभी व्यावसायिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
4. आवेदन पत्र के ऊपरी दाहिने कोने पर अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाया जाना चाहिए।
5. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा एवं उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अधूरी, त्रुटिपूर्ण या गलत जानकारी वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नियुक्तिकर्ता अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों / नियुक्तियों को अस्वीकार कर सकती है।
7. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 (विभागीय सेवा नियम सहित) चयनित अभ्यर्थी पर लागू होगा।
8. सरल क्रमांक 01 से 03 में उल्लेखित पद हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा सरल क्रमांक 04 में उल्लेखित पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के परिपत्र कं. एफ 3-2/2015/1-3 नवा रायपुर दिनांक 03/08/2024 के अनुसार छ.ग. के निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट की पात्रता होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) के अभ्यर्थी के सबंध में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पृथक से होगी। इस प्रकार एक से अधिक आधार पर छूट के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(क) आयु की गणना दिनांक 01-01-2025 के अनुसार की जाएगी।

(ख) आयु प्रमाण के लिए केवल 10वीं और 12वीं की अंकसूची ही स्वीकार की जाएगी।

9. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय नागरिक को प्राथमिकता दी जायेगी, बशर्ते वह सभी योग्यता मापदण्डों को पूरा करता हो।
10. चयन प्रक्रिया के लिये, विभागीय चयन नियम के शेष शर्ते लागू होंगे।
11. निश्चित मासिक संविदा वेतन दिया जाएगा (जिसमें मकान, वाहन, चिकित्सा एवं अन्य सभी भत्ते शामिल हैं)।
12. अनुबंध की अवधि 01 वर्ष के लिए होगी और प्रदर्शन, ईमानदारी और आपसी सहमति के आधार पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
13. अभ्यर्थी को अपने कर्तव्य के लिए चिकित्सकीय एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
14. किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में नियमों में संशोधन भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर बिलासपुर का होगा।
15. किसी भी स्तर में विवाद उत्पन्न होता है तो कलेक्टर बिलासपुर का निर्णय मान्य एवं अंतिम होगा।

चयन प्रक्रियाः- योग्य उम्मीदवारों को एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों के अनुपात में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उच्च योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्रमशः

योग्यता के लिए चयन मापदण्ड/अंकों का महत्व :-

01 Chief Security Officer:-

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	BCAS Basic AvSec qualified security Officer	10
2	Having experience of Aviation security as an Executive. (Minimum 5 years experience)	20
3	Having qualificaton/Training in security Audit/Screeners	10
4	Chhattisgarh Native (Certificate issued by the competent authority)	5
5	Interview	5
	योग	50

02 Assistant Executive:-

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	BE or B.Tech./B.SC. (Aviation)/ B.SC. (PCM) (Regular Course) Or Senior non commissioned/Non commissioned officer with ATC/ADSIO/SFSIO and equivalent qualification.	20
2	Minimum 2 years experience in Airport Operation/Air Traffic Control/Air Defence Operation/Flight safety or Pilot/ Trainee Pilot (with minimum 40 hrs.) flying experience. (2 years experience 10 Point& per year in addition 5 point Maximum 20 point)	20
3	Chhattisgarh Native (Certificate issued by the competent authority)	5
4	Interview	5
	योग	50

03 Accountant:-

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	B.Com with ICWA/CA/MBA full time regular (two years duration) with specialization in finance.	70
2	Experience for each year (Experience as Accountant in any office of the state govt./state local body 05 point per year maximum 20 point)	20
3	Chhattisgarh Native (Certificate issued by the competent authority)	5
4	Interview	5
	योग	100

04 Assistant Grade-III

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ग्रेडयुक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उनकों संस्था प्रमुख का अंकसूची/प्रमाण पत्र, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उल्लेख हो प्रस्तुत करना होगा अथवा अंकसूची प्रस्तुत नहीं करने पर ग्रेड के न्यूनतम अंक को आधार मानकर शैक्षणिक योग्यता के लिये अंक का निर्धारण किया जायेगा। (न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक के प्रतिशत का 60 प्रतिशत वेटेज प्रदाय किया जाएगा)	60 प्रतिशत
2	शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा, 30 कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	30 प्रतिशत
3	छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र)	5
4	साक्षात्कार	5
	योग	100

नोडल अधिकारी
बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट
चकरभाठा, बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारुप

प्रति,

नोडल अधिकारी
बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट
चकरभाठा, बिलासपुर (छ.ग.)
पिन कोड-495220

स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो

1. आवेदित पद का नाम :--------------------------------
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :--------------------------------
   आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) :--------------------------------
3. पिता/पति का नाम :--------------------------------
4. अ. जन्म तिथि (अंको में) :--------------------------------
   ब. जन्म तिथि (शब्दों में :--------------------------------
   स. आयु सीमा में छूट चाहते है हां/नहीं :--------------------------------
   द. आयु सीमा में छूट का आधार- :--------------------------------
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. लिंग (पुरुष/महिला) :--------------------------------
6. जाति/वर्ग :--------------------------------
   (अनु.जा./अनु.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यता :-------

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

8. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता :--------------------------------
   दूरभाष नं. सहित ई-मेल आईडी :--------------------------------
9. स्थाई पता :--------------------------------
   :--------------------------------
10. छ.ग. के मूल निवासी हां / नहीं :--------------------------------
    (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. अनुभव :--------------------------------
    (प्रमाण पत्र सलग्न करें)
12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
    1.----------2-----------3-----------4------------5--------------
    6.----------7-----------8-----------9------------10-------------

दिनांक :-------------
स्थानः----------

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम मोबाईल नं.

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार है, यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :--------------
स्थान :---------------

आवेदक के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204, वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/2101/5536/2025/EXAM 1278 नवा रायपुर, दिनांक 4/12/2025

कोर्ट मैनेजर (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 की समय-सारणी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2025/परीक्षा/दिनांक 25.09.2025 के तहत कोर्ट मैनेजर (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा दिनांक 04 जनवरी 2026 (रविवार) को जिला बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी समय सारणी निम्नानुसार है :-

DATE	DAY	TIME
04.01.2026	SUNDAY	10:00 AM TO 12:00 PM

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किया जावेगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र अथवा प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी कोई सूचना या SMS व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर

आर.ओ.204/जी-252605307/5

कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07723-223834 फोन नं. 224036 Email-zp-msamund.cg@nic.in

क्रमांक/7680/पंचा./RGSA/2025-26 महासमुन्द, दिनांक 04/12/2025

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

पंचायत संचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ विकास भवन, सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक, भूतल नवा रायपुर अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक / पंचा/RGSA/144B/2025/762 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 13.03.2025 एवं पत्र क्रमांक/पंचा/RGSA/144B/2025/771 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 20.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 05/12/2025 से दिनांक 19/12/2025 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं विस्तृत जानकारी जिला महासमुन्द के वेबसाईट www.mahasamund.gov.in एवं कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। जिसके माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है।

संविदा नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों का विवरण

क्र	पदनाम	कुल पद संख्या	अनारक्षित					अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछडा वर्ग			
			मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग मुक्त	योग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	योग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग मुक्त	योग	मुक्त	भू.पू. सैनिक	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	संकाय सदस्य DPRC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	लेखापाल	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएँ

क्र	पदनाम	संविदा वेतन रूपये में	निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6
1	संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केन्द्र DPRC	31,750 एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त सस्थान से ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोगा में न्यूनतम 60% अंको के साथ उत्तीर्ण। 2. कम से कम 01 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार 70%	70
				शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतक 10 अंक	10
				पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
				कम्प्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा (एमएस ऑफिस) के अंकों का अधिभार-20%	20
2	लेखापाल	25,400 एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य विषय में स्नातक डिग्री में न्यूनतम 60% अंको के साथ उत्तीर्ण। 2. टेली कार्य का प्रमाण पत्र। 3. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में 02 वर्ष का लेखापाल एवं समकक्ष पद का अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार-50%	50
				स्नातक के अंकों का अधिभार 10%	10
				शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतक 10 अंक	10
				पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
				कम्प्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का अधिकार 30%	30

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत् है :-

01. उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज (स्व-प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से कार्यालयीन दिवस एवं निर्धारित समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.) कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

02. न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी।

03. आरक्षित वर्ग के पद हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

04. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।

05. प्रत्येक विज्ञापित पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना होगा, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा इसी प्रकार प्रेषक का नाम व पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखना होगा, इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ 25/-रू. का डाक टिकट लगा हुआ स्वयं का पूर्ण पता लिखा हुआ एक लिफाफा पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

06. आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो वर्तमान का होना चाहिए एवं संलग्न किये गये समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजों के स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।

07, संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

08. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।

09. संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

11 संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या आश्रित को अनुकंपा की पात्रता नहीं होगी।

13. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।

14. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।

15. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरूद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। तदुपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते

क्रमशः

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)

बिलासपुर (छ०ग०)

दूरभाष नं0 07752-225545, फैक्स नं0 07752-225545, E.mail.Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक/DA-JGUA/वन अधि./नियुक्ति/2025-26/3416 बिलासपुर, दिनांक 09/12/2025

दावा आपत्ति हेतु सूचना पत्र

कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास बिलासपुर के विज्ञापन क्रमांक / DA-JGUA /वन अधि./नियुक्ति/2025-26/2496 बिलासपुर, दिनांक 07/10/2025 के द्वारा जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र की सूची जिले की वेबसाइट साईट www.bilaspur.gov.in में अपलोड किया गया है एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। यदि प्रकाशित सूची पर किसी आवेदक को आपत्ति हो तो प्रमाणित दस्तावेज के साथ दिनांक 24.12.2025 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक अपना दावा आपत्ति जमा कर सकते है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति मान्य नहीं किये जायेंगे। दावा आपत्ति पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बिलासपुर

आर.ओ.205/जी-252605368/3

कार्यालय प्राचार्य

डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं 0771.2272399 NAAC Grade B++ ई-मेल drrbgnkm1986@gmail.com
college code-1106

क्रमांक/906/स्था./2025 रायपुर, दिनांक 01/12/25

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

डॉ राधा बाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर के प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के रिक्त पद के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 27.12.2025 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (संबंधित महाविद्यालय के कार्यालय से पावती प्राप्त करे) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोट :- विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड,/महाविद्यालय की वेबसाईट www.dnkm.ac.in में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संस्था प्रमुख
महाविद्यालय की नाम-डॉ राधाबाई शासकीय
नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
जिला-रायपुर

आर.ओ.206/जी-252605360/3

विमानन संचालनालय

महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर (छ०ग०)

क्रमांक 993/विमा./संचा./2025 रायपुर, दिनांक 25/11/2025

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विमानन संचालनालय, रायपुर के अन्तर्गत निम्नांकित पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पर आमंत्रित किये जाते है। पद का विवरण निम्नानुसार है :-

1. क्वालिटी मैनेजर 1,11,188/- प्रतिमाह समेकित वेतन (अनारक्षित मुक्त-01)

उपरोक्त पद के लिये शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं विस्तृत जानकारी शासन के वेबसाइट http://cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन-पत्र दिनांक 20/12/2025 तक संचालक, विमानन संचालनालय, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर के पते पर केवल रजिस्ट्रर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकते है।
साक्षात्कार की तिथि के संबंध में पृथक से सूचित किया जावेगा।

विमानन संचालनालय
मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।

16. मूल प्रमाण पत्रों की जांच / कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।
17. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा।
18. आवेदक को 06 माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा। 06 माह से अधिक अवधि के अनुभव के लिए 01 वर्ष के अनुभव का अंक दिया जावेगा। (प्रत्येक वर्ष हेतु अनुभव के अंको की गणना इसी पद्धति के अनुसार की जावेगी।)
19. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व को होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
20. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर अंक प्रदान नही किये जायेंगे।
21. दावा- आपत्ति में केवल कार्यालयीन लिपकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, अन्य किसी भी विषय पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
22. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारम्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
23. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
24. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
25. आवेदक जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
26. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
27. नियुक्ति होने पर अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
28. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
29. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेंय समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
30. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा, जो बंधनकारी एवं सर्वमान्य होगा।
31. संविदा भर्ती नियम में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/दिशा निर्देश लागू होंगे।
32. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) 60:40 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है। अतः योजनांतर्गत समस्त पदों की संविदा अवधि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तक के लिए ही मान्य रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

■

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 05/2025/परीक्षा/दिनांक 17/11/2025

::विज्ञापन::

सहायक प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25/11/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/11/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 24/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 25/12/2025 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार नि:शुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य नि:शुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/12/2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 30/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, नि:शक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **चिकित्सा शिक्षा विभाग** के अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक, विभिन्न विषयों** पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	सहायक प्राध्यापक											
1	**एनाटॉमी**	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	**1**	वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल – 18 A (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7000
	बैकलॉग	-	**1**	**1**	**1**	-	-	-	-		**3**	
2	**फिजियोलॉजी**	**2**	**1**	**2**	-	-	-	-	-	-	**5**	
	बैकलॉग	-	-	**1**	**1**	-	-	-	-		**2**	
3	**बायोकेमेस्ट्री**	-	-	**1**	-	-	-	-	-	-	**1**	
	बैकलॉग	-	-	**2**	-	-	-	-	-		**2**	
4	**फार्माकोलॉजी**	**1**	**1**	-	-	-	-	-	-	-	**2**	
	बैकलॉग	-	-	**2**	**1**	-	-	-	-		**3**	

क्रमश:

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5	माईक्रोबायोलॉजी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
6	पैथोलॉजी/ब्लड बैंक	3	1	3	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	7	
7	कम्युनिटी मेडिसिन	1	1	1	1	-	-	-	-	1 (OA/OL)	4	
	बैकलॉग	-	1	1	-	-	-	-	-		2	
8	फोरेंसिक मेडिसिन	4	-	1	1	1	-	-	-	-	6	
9	मेडिसिन	1	-	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	2	
	बैकलॉग	-	2	3	-	-	-	-	-		5	
10	सर्जरी	1	1	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	3	
	बैकलॉग	-	1	-	2	-	-	-	-		3	
11	अस्थिरोग	2	1	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	4	
	बैकलॉग	-	-	1	1	-	-	-	-		2	
12	शिशुरोग	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5	
	बैकलॉग	-	1	1	-	-	-	-	-		2	
13	रेडियोथेरेपी (रेडियेशन अंकोलॉजी)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	-	3	1	-	-	-	-		4	
14	रेडियोथेरेपी-मेडिकल अंकोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
15	रेडियोथेरेपी-निश्चेतना	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
16	रेडियोथेरेपी-सर्जिकल अंकोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
17	एपियोडर्मियोलॉजिस्ट बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
18	कार्डियोलॉजी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल – 18 A (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड वेतन 7000
19	कार्डियोलॉजी-रेडियोलॉजिस्ट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
20	कार्डियोलॉजी-मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
21	कार्डियोवेस्कुलर एण्ड थोरेसिक सर्जरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
22	थोरेसिक सर्जरी-क्रिटिकल केयर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
23	थोरेसिक सर्जरी-जनरल मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
24	थोरेसिक सर्जरी-शिशुरोग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
25	क्रिटिकल केयर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26	थोरेसिक सर्जरी-कार्डियेक निश्चेतना	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
27	ट्रामा यूनिट-सर्जरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
28	नेत्ररोग	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-		1	
29	ई.एन.टी.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	बैकलॉग	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
30	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	-	-	1	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	1	
	बैकलॉग	-	1	-	3	-	-	-	-		4	
31	रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी)	3	-	1	1	-	-	-	-	1 (OA/OL)	5	
	बैकलॉग	-	1	3	1	-	-	-	-		5	
32	चर्म एवं रतिज रोग	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
33	निश्चेतना	2	2	-	-	-	-	-	-	1 (OA/OL)	4	
	बैकलॉग	-	1	-	-	-	-	-	-		1	
34	मनोरोग	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-		1	
35	टीबी एण्ड चेस्ट	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-		1	
	कुल योग	45	21	43	16						125	

Abbreviations used : OA=One Arm, OL=One Leg

क्रमश:

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन (OA/OL) हीं मान्य होंगे। OA/OL श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'एक' में उल्लेखित है।
5. **रिक्तियों में आरक्षण:-**

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

(i) **पद का नाम :-** सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय)

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – प्रथम श्रेणी

(iii) **वेतन मेट्रिक्स :-** वेतन मेट्रिक्स अकादमिक लेवल-18 A

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(A) ESSENTIAL ACADEMIC QUALIFICATIONS:-

As per National Medical Commission, New Delhi, Notification and "In department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology, and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department subject to non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations."

(i) **Academic Qualifications for Faculty in Medical Broad specialties, Surgical Broad specialties, Medical super Specialties & Surgical super specialties**

Table A

S. No.	Name of the Specialty	Academic Qualification	Academic qualifications during transition period*
1.	Anatomy	M.D./M.S./DNB (Anatomy)/ MSc (Medical Anatomy) with PhD in Medical Anatomy	Not applicable
2.	Anaesthesiology	M.D./DNB (Anaesthesiology)	Not applicable
3.	Biochemistry	M.D./DNB (Biochemistry)/ MSc (Medical Biochemistry) with PhD in Medical Biochemistry	Not applicable
4.	Community Medicine	M.D./DNB (Community Medicine)/ M.D. (Community Health Administration)	Not applicable

क्रमशः

5.	Dermatology, Venereology and Leprosy	M.D./DNB (Dermatology, Venereology and Leprosy)	Not applicable
6.	Forensic Medicine and Toxicology	M.D./DNB (Forensic Medicine and Toxicology)	Not applicable
7.	Medicine	M.D./DNB – Medicine (General Medicine)	Not applicable
8.	Master of Public Health (Epidemiology)	MPH - Master of Public Health in (Epidemiology)	M.D./DNB (Community Medicine)
9.	Microbiology	M.D./DNB (Microbiology)/ MSc (Medical Microbiology) with PhD in Medical Microbiology	Not applicable
10.	Paediatrics	M.D./DNB (Paediatrics)	Not applicable
11.	Pathology/Blood Bank	M.D./DNB (Pathology)	Not applicable
12.	Pharmacology	M.D./DNB (Pharmacology)/ MSc (Medical Pharmacology) with PhD in Medical Pharmacology	Not applicable
13.	Physiology	M.D./DNB (Physiology)/ MSc (Medical Physiology) with PhD in Medical Physiology	Not applicable
14.	Psychiatry	M.D./DNB (Psychiatry)	Not applicable
15.	Radiotherapy (Radiation oncology)	M.D./DNB - Radiotherapy (Radiation oncology)	Not applicable
16.	Radio-Diagnosis (Radiology)	M.D./DNB (Radio-Diagnosis)	Not applicable
17.	TB & Chest (Respiratory Medicine)	M.D./DNB (Respiratory Medicine)	Not applicable
18.	Cardiology - Radiologist	M.D./DNB (Radio-Diagnosis)	Not applicable
19.	Cardiology - Medicine	M.D./DNB (General Medicine)	Not applicable
20.	Thoracic surgery - General Medicine	M.D./DNB (General Medicine)	Not applicable
21.	Radiotherapy - Anaesthesia	M.D./DNB (Anaesthesiology)	M.D./DNB (Anaesthesia)
22.	Surgery	M.S./DNB – Surgery (General Surgery)	Not Applicable
23.	Obstetrics and Gynaecology	M.D./M.S./DNB (Obstetrics and Gynaecology)	Not Applicable
24.	Ophthalmology	M.S./M.D./DNB (Ophthalmology)	Not Applicable
25.	Orthopaedics	M.S./DNB (Orthopaedics)	Not Applicable
26.	Otorhinolaryngology/E.N.T.	M.S./DNB (Otorhinolaryngology)	Not Applicable
27.	Trauma Unit – Surgery	M.S./DNB – Surgery (General Surgery)	Not Applicable
28	Thoracic Surgery - Cardiac Anaesthesia	D.M./DNB/DrNB (Cardiac Anaesthesiology)	M.D./DNB (Anaesthesia)
29	Cardiology	D.M./DNB/DrNB (Cardiology)	Not Applicable
30	Critical Care (Critical Care Medicine)	D.M./DNB/DrNB (Critical Care Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology)/ M.D./DNB- Medicine (General Medicine)/ M.D./DNB (Respiratory Medicine)/ M.D./DNB (Emergency Medicine)/ M.D./DNB (Pulmonary Medicine)
31	Radiotherapy (Medical Oncology)	D.M./DNB/DrNB Medical Oncology	M.D./DNB (General Medicine)/ M.D./DNB (Paediatrics)/ M.D./DNB (Radiation Oncology)

क्रमशः

32	Thoracic surgery- Critical care	D.M./DNB/DrNB (Critical Care Medicine)	M.D./DNB (Anaesthesiology)/ M.D./DNB- Medicine (General Medicine)/ M.D./DNB (Respiratory Medicine)/ M.D./DNB (Emergency Medicine)/ M.D./DNB (Pulmonary Medicine)/
33	Thoracic surgery – Paediatrics	M.D./DNB (Paediatrics)	Not applicable
34	Radiotherapy - Surgical Oncology	M.Ch./DNB/DrNB (Surgical Oncology)	Not applicable
35	CTVS	M.Ch./DNB/DrNB (CTVS)	Not Applicable
*While considering Academic Qualification during transition period, clause no. 12 of NMC Notification dated 30.06.2025 is to be referred.			

(ii) Experience, Research and other Requirements

{Doctor of Medicine (M.D.) and Master of Surgery (M.S.)}

Table B

S. No.	Posts	Academic Qualification	Teaching Experience, Research and other Requirements
1.	**Assistant Professor**	**As per MCI/NMC Gazette**	**a)** One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized medical institution specified as per NMC Norms. **Note 1.)** The experience gained by a Tutor/Demonstrator in a medical institution of his specialty, having a postgraduate degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor. **Note 2.)** The Experience gained by a Demonstrator in a medical institution of his specialty, having a master of Science and Doctor of Philosophy degree, shall be considered equivalent to the experience required as a Senior Resident for the purpose of eligibility for the post of Assistant Professor; or **b)** Specialist Medical Officers of the Armed Forces having at least one year teaching experience or two years of clinical experience after obtaining the requisite postgraduate qualification in the concerned subject. **c)** a Non – teaching Consultant or Specialist or Medical Officer, possessing postgraduate medical degree with at least two years of experience in a government hospital having at least 220 beds shall be eligible to become an Assistant Professor of that broad specialty without the requirement of experience as Senior resident and shall complete the Basic Course in Biomedical Research within two years of appointment; or **d)** diploma holders appointed as Senior Residents in a recognized medical institution before 08.06.2017 having total experience of four years as Senior Resident; or **e)** diploma holders working as Specialists or Medical Officer in the respective departments of a government medical institution or Government Medical institution running National Board of Examination and Medical Science recognized teaching programme having cumulative experience of six years

(iii) Experience, Research and other Requirements

{Doctorate of Medicine (D.M.) and Master of Chirurgiae (M.Ch.)}

Table C

S. No.	Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
1	**Assistant Professor**	**As per MCI/NMC Gazette**	Have completed the Basic Course in Biomedical Research from recognized medical institution designated by the commission.

क्रमशः

(B) The candidate/applicant must have a live registration with the State Medical Council/Medical Council of India/National Medical Commission for the relevant specialty.

(अ) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-**

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना के अनुसार सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर) के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी विभाग में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में कुल पदों की संख्या 30% तक गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। उपर्युक्त गैर-चिकित्सा शिक्षकों और सामुदायिक चिकित्सा विभाग (कम्युनिटी मेडिसिन) में सांख्यिकीविद (Statistician) के पास चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियमों में आवश्यकताओं के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस संबंधित विषय में योग्यता होनी चाहिए।

(i) **मेडिकल ब्रॉड स्पेशियलिटी, सर्जिकल ब्रॉड स्पेशियलिटी, मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी एवं सर्जिकल सुपर स्पेशियलिटी संकाय के लिए शैक्षणिक योग्यताएं :-**

तालिका अ

स. क्र.	स्पेशियलिटी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता*
1.	एनाटॉमी	एम.डी./एम.एस./डीएनबी (एनाटॉमी)/ एमएससी (मेडिकल एनाटॉमी) के साथ मेडिकल एनाटॉमी में पीएचडी	लागू नहीं
2.	एनेस्थिसियोलॉजी (निश्चेतना)	एम.डी./डीएनबी एनेस्थिसियोलॉजी (निश्चेतना)	लागू नहीं
3.	बायोकेमिस्ट्री	एम.डी./डीएनबी (बायोकेमिस्ट्री)/ एमएससी (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) के साथ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी	लागू नहीं
4.	कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)/एम.डी. (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)	लागू नहीं
5.	चर्म एवं रतिज रोग (त्वचाविज्ञान, रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)	एम.डी./डीएनबी चर्म एवं रतिज रोग (त्वचाविज्ञान रतिजरोग विज्ञान और कुष्ठ रोग)	लागू नहीं
6.	फारेंसिक मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी फारेंसिक मेडिसिन (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	लागू नहीं
7.	मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)	लागू नहीं
8.	एपियोडेमियालाजिस्ट (मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ – महामारी विज्ञान)	एमपीएच-एपियोडेमियालाजिस्ट (महामारी विज्ञान में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ)	एम.डी./डीएनबी कम्युनिटी मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा)
9.	माइक्रोबायोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (माइक्रोबायोलॉजी) मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी के साथ एमएससी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी)	लागू नही
10.	शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	लागू नहीं
11.	पैथोलॉजी/ब्लड बैंक (विकृति विज्ञान)	एम.डी./डीएनबी पैथोलॉजी/ब्लड बैंक (विकृति विज्ञान)	लागू नहीं
12.	फार्माकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फार्माकोलॉजी)/ एमएससी (मेडिकल फार्माकोलॉजी) के साथ मेडिकल फार्माकोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
13.	फिजियोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (फिजियोलॉजी)/ एमएससी (मेडिकल फिजियोलॉजी) के साथ मेडिकल फिजियोलॉजी में पीएचडी	लागू नहीं
14.	मनोरोग (मनोचिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी मनोरोग (मनोचिकित्सा)	लागू नहीं
15.	रेडियोथेरेपी (विकिरण अंकोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी रेडियोथेरेपी (विकिरण अंकोलॉजी)	लागू नहीं
16.	रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	एम.डी./डीएनबी रेडियोडायग्नोसिस (रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	लागू नहीं
17.	टी.बी. एण्ड चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)	एम.डी./डीएनबी टी.बी. एण्ड चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)	लागू नहीं
18.	कार्डियोलॉजी - रेडियोलॉजीस्ट	एम.डी./डीएनबी रेडियोडायग्नोसिस	लागू नहीं

क्रमशः

		(रेडियोलॉजी/रेडियो निदान)	
19.	कार्डियोलॉजी – मेडिसिन	एम.डी./डीएनबी - मेडिसिन (सामान्य मेडिसिन)	लागू नहीं
20.	थोरेंसिक सर्जरी – सामान्य मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी - सामान्य मेडिसिन (जनरल मेडिसिन)	लागू नहीं
21.	रेडियोथेरपी – निश्चेतना (एनेस्थिसिया)	एम.डी./डीएनबी निश्चेतना (एनेस्थिसियोलॉजी)	लागू नहीं
22.	सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	एम.एस./डीएनबी सर्जरी (सामान्य सर्जरी)	लागू नहीं
23.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	एम.डी./एम.एस./डीएनबी (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	लागू नहीं
24.	नेत्ररोग (नेत्र विज्ञान)	एम.डी./एम.एस./डीएनबी नेत्ररोग (नेत्र विज्ञान)	लागू नहीं
25.	अस्थि रोग (हड्डी रोग)	एम.एस./डीएनबी अस्थि रोग (हड्डी रोग)	लागू नहीं
26.	ईएनटी (ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)	एम.एस./डीएनबी ईएनटी (ओथोरिनोलरिंगोलॉजी)	लागू नहीं
27.	ट्रामा यूनिट – सर्जरी	एम.एस./डीएनबी (सर्जरी)	लागू नहीं
28.	थोरेंसिस सर्जरी – कार्डियक निश्चेतना (एनेस्थीसिया)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी कार्डियक निश्चेतना (एनेस्थीयोलॉजी)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थीसिया)
29.	कार्डियोलॉजी	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (कार्डियोलॉजी)	लागू नहीं
30.	क्रिटिकल केयर (क्रिटिकल केयर मेडिसन)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी)/ एम.डी./डीएनबी (मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी टीबी चेस्ट (श्वसन चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (आपातकालीन चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (पल्मोनरी चिकित्सा)
31.	रेडियोथेरेपी – मेडिकल अंकोलॉजी (मेडिकल अंकोलॉजी)	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी मेडिकल अंकोलॉजी	एम.डी./डीएनबी (सामान्य चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (बाल चिकित्सा)/ एम.डी./डीएनबी (विकिरण अंकोलॉजी)
32.	थोरेंसिक सर्जरी - क्रिटिकल केयर	डी.एम./डीएनबी/डीआरएनबी (क्रिटिकल केयर मेडिसिन)	एम.डी./डीएनबी (एनेस्थिसियोलॉजी)/ एम.डी./डीएनबी (मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी टीबी चेस्ट (श्वसन मेडिसिन)/ एम.डी./ डीएनबी (आपातकालीन मेडिसिन)/ एम.डी./डीएनबी (पल्मोनरी मेडिसिन)
33.	थोरेसिक सर्जरी – शिशुरोग	एम.डी./डीएनबी शिशुरोग (बाल चिकित्सा)	लागू नहीं
34.	रेडियोथेरेपी–सर्जिकल अंकोलॉजी (रेडियोथेरेपी-सर्जरी)	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी रेडियोथेरेपी-सर्जिकल अंकोलॉजी (रेडियोथेरेपी-सर्जरी)	लागू नहीं
35.	कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी	एम.सीएच./डीएनबी/डीआरएनबी (कार्डियोवास्कुलर और थोरेसिक सर्जरी)	लागू नहीं

* संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता को विचारण क्षेत्र में लेते समय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 की कंडिका 12 को संदर्भ में लिया जाएगा।

(ii) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एम. डी.) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.) के लिए अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं

तालिका ब

स. क्र.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएँ
1	सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार	**(क)** किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, के अनुसार निर्दिष्ट संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। **नोट 1:** टयूटर/प्रदर्शक जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। **नोट 2:** डेमोंस्ट्रेटर (प्रदर्शक) जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जाएगा: या

क्रमशः

			(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो। **(ग)** कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशिलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा, और उनके लिए वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीबीआर) पूरा करना होगाःया **(घ)** वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में नियुक्त किया गया हो तथा जो वरिष्ठ रेजिडेंट के रुप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता होःया **(ड)** वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के संबंधित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रुप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो।

(iii) डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) और मास्टर ऑफ चिरूर्गिया (एम.सीएच.) के लिए अनुभव, शोध और अन्य आवश्यकताएं

तालिका स

स. क्र.	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण एवं शोध अनुभव
1	सहायक प्राध्यापक (सहायक प्रोफेसर)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार	आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

(ब) अभ्यर्थी/आवेदक का संबंधित स्पेशियलिटी के राज्य मेडिकल कौंसिल/मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

नोटः- **(क)** राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के अनुसार विभिन्न स्पेशियलिटी में सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक अर्हता में प्राथमिकता शैक्षणिक योग्यता को दिया जावेगा, यदि शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) के साथ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है तब कि स्थिति में उक्त स्थान पर संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification during transition period) को मान्य किया जावेगा।

(ख) उपरोक्तानुसार यदि कुछ स्पेशियलिटी में शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) तथा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification during transition period) के एक-एक अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं तब कि स्थिति में वरियता शैक्षणिक योग्यता (Academic Qualification) वाले अभ्यर्थी को दिया जावेगा।

(3) **परिवीक्षा अवधिः-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोटः-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ''प्रमाण-पत्र'' ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) **निर्धारित आयु सीमाः-**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 25 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

क्रमशः

(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी ।

महत्वपूर्ण टीपः-

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है । अन्य विशेष वर्गो के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी ।

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें । परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी ।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी ।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र । (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है । ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा ।

(iv) जाति प्रमाण पत्रः-

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा ।

(c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं । ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है । जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए ।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र ।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण-पत्र ।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र ।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(8) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

क्रमशः

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।

(9) अनर्हताः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए ।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा । उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(10) चयन प्रक्रियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

टीपः- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

(ii) परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित की जाएगी ।

(iii) लिखित परीक्षा आयोजन की स्थिति में परीक्षा केन्द्र रायपुर होगा ।

(11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य से स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(iii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों/विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद/विषय हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा ।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी ।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/ अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

(13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) यात्रा व्यय का भुगतानः-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना हैः-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक

क्रमशः

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।

(9) अनर्हताः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए ।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा । उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(10) चयन प्रक्रियाः- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल" साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

टीपः- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

(ii) परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित की जाएगी ।

(iii) लिखित परीक्षा आयोजन की स्थिति में परीक्षा केन्द्र रायपुर होगा ।

(11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्कः-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा ।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य से स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(iii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों/विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद/विषय हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा ।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी ।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/ अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

(13) परीक्षा के संबंध मेंः- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) यात्रा व्यय का भुगतानः-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना हैः-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोटः- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक

क्रमशः

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक/1298/ADV/469/2025 नवा रायपुर, दिनांक : 12/12/2025

शुद्धि पत्र

शुद्धि पत्र क्रमांक 06/2025/परीक्षा/दिनांक 12/12/2025

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2025 के कुल 239 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 06/2025/परीक्षा/दिनांक 26/11/2025 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 05/2025/परीक्षा/दिनांक 03/12/2025 जारी कर अभ्यर्थियों से दिनांक 01/12/2025 से 30/12/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(2) सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-3/2025/15-1 नवा रायपुर, दिनांक 04/12/2025 द्वारा सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के 19 रिक्त पद एवं पत्र क्रमांक एफ 2-8/2025/15-1 नवा रायपुर, दिनांक 10/12/2025 द्वारा सहायक पंजीयक के 07 रिक्त पदों को राज्य सेवा परीक्षा-2025 में शामिल किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। आयोग द्वारा उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के आधार पर विज्ञापन क्रमांक 06/2025/परीक्षा/दिनांक 26/11/2025 की कंडिका (3) की तालिका के पदों की संख्या को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ **भूतपूर्व सैनिकों** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा** उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	6	2	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1 (B/OAL)	14	56100 (स्तर-12)
2	**राज्य पुलिस सेवा** उप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग	11	4	9	4	3	1	2	1	-	-	-	-	-	28	56100 (स्तर-12)
3	**छ.ग. राज्य वित्त सेवा अधिकारी** वित्त विभाग	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56100 (स्तर-12)
4	**राज्य कर सहायक आयुक्त** वाणिज्यिक कर विभाग	4	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	56100 (स्तर-12)
5	**श्रम पदाधिकारी** श्रम विभाग	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56100 (स्तर-12)
6	**रोजगार अधिकारी** कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	56100 (स्तर-12)
	बैकलॉग/अग्रणित	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
7	**सहायक संचालक** समाज कल्याण विभाग	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56100 (स्तर-12)
8	**सहायक पंजीयक** * सहकारिता विभाग	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	56100 (स्तर-12)
9	**सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी** महिला एवं बाल विकास विभाग	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	56100 (स्तर-12)
10	**जिला पंजीयक** वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	56100 (स्तर-12)
11	**मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख'** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	7	2	6	3	2	-	1	-	-	-	-	-	2 (OA/OAL/B/LV/HH)	18	56100 (स्तर-12)
12	**मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ग'** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	12	4	9	4	3	1	2	1	1	-	-	-	2 (OA/OL/BL/OAL/B/LV)	29	38100 (स्तर-9)
	बैकलॉग/अग्रणित	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		4	
13	**बाल विकास परियोजना अधिकारी** महिला एवं बाल विकास विभाग	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	38100 (स्तर-9)

क्रमशः

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ **भूतपूर्व सैनिकों** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **नि:शक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
14	**छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी** वित्त विभाग	**7**	**1**	**4**	**3**	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2** (OA/OL/OAL/BL/HH)	**15**	38100 (स्तर-9)
	बैकलॉग/अग्रणित	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
15	**नायब तहसीलदार** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	**21**	**6**	**17**	**7**	**6**	**1**	**5**	**2**	**2**	**-**	**1**	**-**	**4** (1 UR अग्रणित) (OA/OL/BL/OAL/B/LV/HH)	**51**	35400 (स्तर-8)
	बैकलॉग/अग्रणित	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**		**2**	
16	**राज्य कर निरीक्षक** वाणिज्यिक कर विभाग	**7**	**2**	**5**	**2**	**2**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	28700 (स्तर-7)
	बैकलॉग/अग्रणित	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
17	**आबकारी उप निरीक्षक** वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	**5**	**1**	**4**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	28700 (स्तर-7)
18	**उप पंजीयक** वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	**6**	**1**	**3**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1** (OA/OL/OAL/BL/HH)	**12**	28700 (स्तर-7)
19	**सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी** * सहकारिता विभाग	**5**	**2**	**4**	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1** (HH)	**13**	28700 (स्तर-7)
	बैकलॉग/अग्रणित	**-**	**-**	**4**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**6**	
20	**सहायक जेल अधीक्षक** जेल विभाग	**3**	**1**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	25300 (स्तर-6)
	कुल योग	**111**	**30**	**88**	**36**										**265**	

Abbreviation Used: OA-One Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, HH-Hearing Handicapped, B-Blind, OAL-One Arm and One Leg, LV-Low Vision

(3) विज्ञापन की कंडिका 3 (vi) की तालिका में मान्य दिव्यांगता के प्रकार का विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	दिव्यांगता का प्रकार	स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	दिव्यांगता का प्रकार
01	**छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा** उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	OA, OL, BL, OAL, B, LV, HH	**11**	**मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ख'** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	OA, OAL, B, LV, HH
02	**राज्य पुलिस सेवा** उप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग	Not Applicable	**12**	**मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग 'ग'** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	OA, OL, BL, OAL, B, LV
03	**छ.ग. राज्य वित्त सेवा अधिकारी** वित्त विभाग	OA, OL, BL, HH	**13**	**बाल विकास परियोजना अधिकारी** महिला एवं बाल विकास विभाग	OA, OL, OAL, BL, B, LV, HH
04	**राज्य कर सहायक आयुक्त** वाणिज्यिक कर विभाग	BL, OA, OL, OAL	**14**	**छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी** वित्त विभाग	OA, OL, OAL, BL, HH
05	**श्रम पदाधिकारी** श्रम विभाग	OL, OA, BL, LV, B	**15**	**नायब तहसीलदार** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	OA, OL, OAL, BL, B, LV, HH
06	**रोजगार अधिकारी** कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	OA, OL, OAL	**16**	**राज्य कर निरीक्षक** वाणिज्यिक कर विभाग	Not Applicable
07	**सहायक संचालक** समाज कल्याण विभाग	OL, HH, OA, BL, LV, B	**17**	**आबकारी उप निरीक्षक** वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	Not Applicable
08	**सहायक पंजीयक** * सहकारिता विभाग	OA, OL, LV, HH	**18**	**उप पंजीयक** वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	OA, OL, OAL, BL, HH
09	**सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी** महिला एवं बाल विकास विभाग	OA, OL, OAL, BL, B, LV, HH	**19**	**सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी** * सहकारिता विभाग	OA, OL, OAL, HH
10	**जिला पंजीयक** वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	OA, OL, OAL, BL, HH	**20**	**सहायक जेल अधीक्षक** जेल विभाग	Not Applicable

(4) विज्ञापन क्रमांक 06/2025/परीक्षा/दिनांक 26/11/2025 की शेष समस्त शर्तें/कण्डिकाएं यथावत रहेंगी।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पिय प्रश्नोत्तरी

1. किस योजना के अंतर्गत बस्तर में डिजिटल पंजीकरण, परामर्श व दवा वितरण की सुविधा एक मंच पर उपलब्ध कराई गई?
A. आयुष योजना
B. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
C. ई-स्वास्थ्य छत्तीसगढ़
D. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

2. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क विकास हेतु RCPLWEA योजना तहत कितनी राशि स्वीकृत हुई?
A. 150 करोड़
B. 175 करोड़
C. 195 करोड़
D. 225 करोड़

3. स्वतंत्रता दिवस 2025 पर छत्तीसगढ़ पुलिस को कुल कितने पदक मिले?
A. 20
B. 22
C. 25
D. 30

4. गैलेंट्री मेडल कितने पुलिसकर्मियों को मिला?
A. 10
B. 12
C. 14
D. 15

5. प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस किसे मिला?
A. अमित जैन
B. हिमांशु गुप्ता
C. अरुण देव
D. दिनेश साहू

6. "आदि कर्मयोगी अभियान में 28 जिले के कितने आदिवासी बहुल ग्राम शामिल होंगे?
A. 5,500
B. 6,000
C. 6,650
D. 7,000

7. भारतीय नौसेना में 26 अगस्त को शामिल होने वाले युद्धपोत कौन-से हैं?
A. विक्रमादित्य – विराट
B. शौर्य – शतक
C. उदयगिरि – हिमगिरि
D. त्रिशूल – वज्र

8. ये युद्धपोत किस परियोजना के अंतर्गत बने हैं?
A. प्रोजेक्ट-14
B. प्रोजेक्ट-17A
C. प्रोजेक्ट-28
D. मेक इन इंडिया

9. उदयगिरि किस शिपयार्ड ने बनाया?
A. जीआरएसई – कोलकाता
B. कोचीन शिपयार्ड
C. एमडीएल – मुंबई
D. गोवा शिपयार्ड

10. 'रुद्रास्त्र' मालगाड़ी की कुल लंबाई कितनी थी?
A. 3.2 किमी
B. 3.8 किमी
C. 4.5 किमी
D. 5 किमी

11. सात इंजन वाली रुद्रास्त्र में कितने वैगन लगे थे?
A. 250
B. 300
C. 354
D. 400

12. एंटी-ड्रोन सिस्टम 'बाज़ आंख' किस राज्य ने लॉन्च किया?
A. राजस्थान
B. जम्मू-कश्मीर
C. पंजाब
D. हरियाणा

13. पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा कितनी लंबी है?
A. 450 किमी
B. 500 किमी
C. 553 किमी
D. 600 किमी

14. 2025 में भारत में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई?
A. 823
B. 860
C. 891
D. 915

15. देश का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा?
A. इसरो
B. स्काईरूट
C. पिक्सेल (Pixel), बेंगलुरु
D. अग्निकुल

16. रेलवे ट्रैक के बीच पहली सोलर प्रणाली कहां शुरू हुई?
A. भोपाल
B. लखनऊ
C. वाराणसी
D. प्रयागराज

17. 70 मीटर वाले इस सोलर सिस्टम की क्षमता कितनी है?
A. 10 किलोवॉट
B. 15 किलोवॉट
C. 20 किलोवॉट
D. 25 किलोवॉट

18. 'खाद्य व शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार' की शुरुआत कब की गई?
A. 5 अगस्त 2025
B. 7 अगस्त 2025
C. 10 अगस्त 2025
D. 15 अगस्त 2025

19. एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन बने?
A. डॉ. राजेन्द्र सिंह
B. डॉ. कैलाश सत्यार्थी
C. डॉ. एडेमोला एडेनले (नाइजीरिया)
D. डॉ. तेजस पाटिल

20. डॉ. एडेमोला एडेनले को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया?
A. जल संरक्षण
B. भुखमरी कम करने हेतु कृषि सुधार
C. शिक्षा नवाचार
D. स्वास्थ्य सेवाएँ

21. 1 सितंबर 2025 एयरबस के भारत एवं दक्षिण एशिया के नए अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक कौन बने?
A. मार्क डॉपसन
B. लुकास श्मिट
C. जुर्गेन वेस्टरमियर
D. पीटर क्लेन

22. 66 साल बाद जिन ब्रिटिश वैज्ञानिक के अवशेष मिले, उनका नाम क्या था?
A. जेम्स रॉस
B. डेनिस टिंक बेल
C. एडवर्ड स्कॉट
D. माइकल हेमिल्टन

23. डेनिस टिंक बेल की मृत्यु कब हुई थी?
A. 10 जून 1958
B. 5 जुलाई 1959
C. 26 जुलाई 1959
D. 12 अगस्त 1960

24. गैंडों के सींग में रेडियोएक्टिव पदार्थ डालने का प्रयोग कहां हुआ?
A. केन्या
B. नामीबिया
C. दक्षिण अफ्रीका
D. जिम्बाब्वे

25. इस प्रयोग को किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया?
A. केपटाउन विश्वविद्यालय
B. जोहांसबर्ग यूनिवर्सिटी
C. विटवाटरस्रैंड विश्वविद्यालय
D. प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी

26. पिछले 10 वर्षों में कितने गैंडों का शिकार हुआ?
A. 5,000
B. 6,500
C. 8,500+
D. 10,000

27. चीन किस लंबाई का रेल नेटवर्क बना रहा है?
A. 3000 किमी
B. 4000 किमी
C. 5000 किमी
D. 6000 किमी

28. यह रेल नेटवर्क किन क्षेत्रों को जोड़ेगा?
A. बीजिंग – तिब्बत
B. ल्हासा – चेंगदू
C. शिनजियांग – ल्हासा (तिब्बत)
D. शंघाई – ल्हासा

29. अमेरिका में पहली 'इंडिया डे परेड' कहां हुई?
A. न्यूयॉर्क
B. सैन फ्रांसिस्को
C. शिकागो
D. सिएटल

30. 'इंडिया डे परेड' का उद्घाटन किसने किया?
A. भारतीय प्रधानमंत्री
B. राजदूत तरणजीत सिंह
C. कौंसुल प्रकाश गुप्ता व मेयर ब्रूस हैरेल
D. गवर्नर जे वेंस

31. जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने?
A. विराट कोहली
B. बेन स्टोक्स
C. शुभमन गिल
D. केन विलियमसन

32. ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया?
A. स्मृति मंधाना
B. एलिस पैरी
C. सोफिया डंकली
D. लौरा वोल्वर्ट

33. वर्ल्ड गेम्स 2025 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता?
A. अभिषेक वर्मा
B. अतुल वर्मा
C. ऋषभ यादव
D. तरुणदीप राय

34. भारत के 89वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने?
A. प्रणव वेंकटेश
B. अर्जुन एरिगैसी
C. रोहित कृष्णा एस.
D. निहाल सरीन

35. IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला?
A. आमिर खान
B. अभिषेक बच्चन
C. शाहिद कपूर
D. जयदीप अहलावत

36. IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने?
A. करण जौहर
B. जोया अख्तर
C. नीरज घेवन
D. राजकुमार हिरानी

37. विस्लाव मनियाक मेमोरियल किस देश में आयोजित हुआ?
A. फ्रांस
B. जर्मनी
C. पोलैंड
D. हंगरी

38. महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण किसने जीता?
A. निशा नेहरा
B. अन्नू रानी
C. सीमा पूनिया
D. सरिता देवी

39. बांग्ला अभिनेत्री बसंती चटर्जी का निधन किस आयु में हुआ?
A. 80 वर्ष
B. 85 वर्ष
C. 88 वर्ष
D. 92 वर्ष

40. सबसे कम उम्र की महिला इंटरनेशनल मास्टर बनने वाली खिलाड़ी कौन हैं?
A. दिव्या देशमुख
B. प्रज्ञानंदा
C. बोधना सिवानंदन
D. हम्पी कोनेरू

- **गीता प्रसाद**, कैरियर काउंसलर

Q&A-009

1	B	11	C	21	C	31	C
2	C	12	C	22	B	32	C
3	C	13	C	23	C	33	C
4	C	14	C	24	C	34	C
5	C	15	C	25	C	35	B
6	C	16	C	26	C	36	C
7	C	17	B	27	C	37	C
8	B	18	B	28	C	38	B
9	C	19	C	29	D	39	C
10	C	20	B	30	C	40	C

अस्वीकरण (Disclaimer) : इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। फिर भी, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में अनजाने में कोई त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए "रोजगार और नियोजन" जिम्मेदार नहीं होगा।

200
यूनिट तक बिजली पर
बिल हाफ
प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ
घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक विद्युत खपत पर 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ
200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल का लाभ
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
क्षमता | सब्सिडी केन्द्र+ राज्य सरकार
1 किलोवॉट | 30+15 = 45 हजार
2 किलोवॉट | 60+30 = 90 हजार
3 किलोवॉट | 78+30 = 1 लाख 8 हजार
प्रधानमंत्री सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना
मुफ़्त बिजली: 3 किलोवाट क्षमता वाला रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर, प्रति माह 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन
अतिरिक्त बचत: 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से ₹26,000 प्रति वर्ष तक बचत
सब्सिडी लाभ: केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापना पर 45,000, 2 किलोवॉट पर 90,000 रुपए और 3 किलोवॉट के सोलर प्लांट की स्थापना पर अधिकतम 1,08000 रुपए की सब्सिडी
लोन सुविधा: सोलर प्लांट की स्थापना पर बैंकों द्वारा 6% ब्याज दर पर ऋण
अतिरिक्त आय: उत्पन्न अधिशेष बिजली को ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

स्वस्थ छत्तीसगढ़
खुशहाल छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं नई ऊंचाइयों पर

स्वास्थ्य सुरक्षा

2.42 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड
43.33 लाख लाभान्वित

70 लाख+ नागरिकों को आयुष्मान आरोग्य मेला से सीधा फायदा

1.56 करोड़ लोगों की राष्ट्रीय सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन मिशन के तहत स्क्रीनिंग

बेहतर इलाज

मेडिकल कॉलेजों में **सीट वृद्धि** और **नए अस्पतालों का निर्माण**

875 सरकारी अस्पतालों को मिला **राष्ट्रीय गुणवत्ता सर्टिफिकेशन**

326 संजीवनी एम्बुलेंस (108),
380 महतारी एक्सप्रेस (102)
का संचालन

सुरक्षित मातृत्व

संस्थागत प्रसव **70.2%** से बढ़कर **85.7%** तक पहुंचा

गर्भवती महिलाओं को मिल रहा जननी सुरक्षा योजना का लाभ

नवा रायपुर बनेगा हेल्थ हब

200 एकड़ में आधुनिक मेडिसिटी

142 एकड़ में फार्मास्यूटिकल हब

हर नागरिक तक – गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं

संकल्प से सिद्धि की ओर

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक - जवाहर लाल दरियो